रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 1975/माघ 28, 1896

No. 73] NEW DELH, MONDAY, FEBRUARY 17, 1975/MAGHA 28, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 1975

S.O. 102(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and seventh Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) in the First Schedule,—

(i) for entry 16, the following entry shall be substituted, namely:—

"16. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya): [with a Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag) and a Department of Science and Technology (Vigyan aur Prodyogiki Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)].";

(ii) entry 27 shall be omitted.

3. In the Second Schedule to the said rules—

(a) under the heading "MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)" under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SAMAJ KALYAN VIBHAG)" for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:—

"Part I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

Nil

Part II

The following subject which falls within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

1. Social Security and Social Insurance.

Part III

For the Union territories, the following subjects which fall within List II or List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India, in so far as they exist in regard to such territories:—

2. Relief of the disabled and unemployable and measures relating to social security and social insurance, save to the extent allotted to any other Department.

Part IV

General and Consequential:—

3. Social welfare; social welfare planning, project formulation, research, evaluation, statistics and training.

4. Family Welfare.

5. Woman and child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.

6. Care of pre-school children.

7. Nutrition feeding of pre-school children and nutrition education of women.

8. Institutional and non-institutional services for the care and development of children in need including orphans, and orphanages.

9. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

10. Education, training, rehabilitation and welfare of the physically and mentally handicapped.

11. National Institute for physically Handicapped and Mentally Retarded.

12. National Centre for the blind, including the Central Braille Press, Dehra Dun; Training Centre for the Adult Deaf, and school for partially deaf children, Hyderabad; Model School for Mentally Retarded Children, New Delhi and other national institutes.

13. Central Social Welfare Board.

14. Social and Moral Hygiene programmes.

15. Beggary; Juvenile vagrancy, delinquency and other care programmes

16. Probation of Juvenile offenders.

17. Research, evaluation, training, exchange of information and technical guidance on all social defence matters, including correctional services.

18. All matters relating to prohibition.

19. Education and social welfare aspects of drug addiction.

20. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.

21. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

22. Central Institute of Research and Training in public Cooperation.

23. Central Bureau of Correctional Services.

24. Social Welfare and Rehabilitation Directorate.

25. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in the list.

26. Administration of the following Acts:—

(a) Suppression of Immoral Traffic Act, 1956;

(b) Probation of Offenders Act, 1958; and

(c) Children Act, 1960.";

(b) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (UDYOG AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)" under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (BHARI UDYOG VIBHAG)",

(i) for entry 4, the following entries shall be substituted, namely.—

"4. Auto Industries, including tractors and earth moving equipment.

5. All types of diesel engines.";

(ii) the existing entry 5 shall be renumbered as entry 6.

(c) under the heading "MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Responsibility to Parliament in regard to the subject of national planning.

DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHYIKI VIBHAG)

1. Standards and norms and methods of collection of statistics.

2. Central Statistical Organisation.

3. National Sample Survey.

4. Indian Statistical Institute.

5. Computer Centre; Coordination of requirements relating to electronic processing equipment (computers).

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRODYOGIKI VIBHAG).

1. Formulation of policy statements and guidelines on science and technology and the following through of their implementation.

2. National Committee on Science and Technology.

3. Promotion of new areas of science and technology.

4. Oceanography including the scientific and technological aspects of the seabed and ocean floor.

5. Environment and Ecology.

6. Futurology.

7. All matters concerning the Council of Scientific and Industrial Research.

8. Survey of India and National Atas Organisation.

8. Survey of India and National Atlas Organisation.

10. Zoological Survey of India.

11. National Research Development Corporation.

12. Annual Session of the Indian Science Congress Association.

13. Central Board of Geophysics.

14. The Pan-Indian Ocean Science Association.

15. Indian National Sicentific Documentation Centre.

16. Coordination of areas of science and technology in which a number of institutions and departments have interests and capabilities.

17. Undertaking or financially sponsoring scientific and technological surveys, research, design, development where necessary.

18. Grants to national research institutions, scientific associations and scientific bodies, including the Indian National Science Acadmy, the Indian Acadamy of Science and the National Academy of Sciences.

19. All matters concerning domestic technology particularly the promotion of ventures involving the commercialisation of such technology.

20. International Scientific and Technological Affairs including—

(a) the negotiation and implementation of Scientific and Technological Co-operation Agreements and responsibility for the scientific and techlnogical aspects of activities of international organisations; and

(b) appointment of Scientific Attaches abroad.

NOTE.—These functions shall be exercised by the Department of Science and Technology (Vigyan aur Prodyogiki Vibhag) in close cooperation with the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).

21. Matters commonly affecting scientific and technological institutions e.g., financial, personnel, purchase and import policies and practices.

22. Matters relating to creation of a pool for temporary placement of Indian scientists and technologists returning from abroad.

23. All other measures needed for the promotion of science and technology and their application to the development and security of the nation.";

(d) the heading "DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRODYOGIKI VIBHAG)" and entries thereunder shall be omitted.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President.

[No. 74/2/1/75-CF]
J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1975

का० आ० 102(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ सातवां संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची में,—

(i) प्रविष्टि 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"16 योजना मंत्रालय: (मंत्रालय के अन्तर्गत सांख्यिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सहित);

(ii) प्रविष्टि 27 का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में—

(क) "शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,

"ख. समाज कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्

"भाग I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत आते हैं:

कुछ नहीं

भाग II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3 के अन्तर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत)

1—सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा

भाग III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 के अन्तर्गत आते हैं जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं :—

2. निःशक्त और अनियोज्य व्यक्तियों को सहायता और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा से सम्बन्धित उपाय, उस सीमा तक छोड़ कर जहां तक वे किसी अन्य विभाग को आबंटित हैं।

भाग IV

साधारण और पारिणामिक :—

3. समाज कल्याण, समाज कल्याण योजना, परियोजना बनाना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण।

4. कुटुम्ब कल्याण।

5. स्त्री और बालक कल्याण और इस विषय के सम्बन्ध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय।

6. प्राग विद्यालय बालकों की देखभाल।

7. प्राग विद्यालय बालकों का पोषण आहार और स्त्रियों के लिए पोषाण आहार शिक्षा।

8. जरूरतमन्द बालकों की, जिनमें अनाथ बालक सम्मिलित हैं, देखभाल और विकास के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत सेवाएं तथा अनाथालय।

9. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बालकों की आपात निधि (यूनिसेफ)।

10. शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्तों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और कल्याण ।

11. शारीरिक रूप से निःशक्त और मंदितमना लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान ।

12. राष्ट्रीय अन्ध केन्द्र, जिसमें केन्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय, देहरादून सम्मिलित है, वयस्क बधिर प्रशिक्षण केन्द्र, आंशिक रूप से बधिर बालकों का विद्यालय, हैदराबाद, मंदितमना बालकों का माडल विद्यालय, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय संस्थान ।

13. केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड ।

14. सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ।

15. भिक्षावृत्ति, किशोर आवारागर्दी, अपचारिता और कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर के अन्य कार्यक्रम ।

16. किशोर अपराधियों की परिवीक्षा ।

17. सामाजिक सुरक्षा के सभी मामलों पर अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, सूचना का आदान-प्रदान, और तकनीकी मार्ग दर्शन, जिसमें सुधारात्मक सेवाएं सम्मिलित हैं ।

18. नशाबन्दी सम्बन्धी सभी मामले ।

19. मादक द्रव्य व्यसन के शिक्षा और समाज कल्याण सम्बन्धी पहलू ।

20. इस विभाग को आबंटित विषयों से सम्बन्धित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।

21. इस विभाग को आबंटित विषयों के सम्बन्ध में स्वच्छिक प्रयासों का उन्नयन और विकास ।

22. केन्द्रीय लोक सहयोग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान ।

23. केन्द्रीय सुधारात्मक सेवा ब्यूरो ।

24. समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय ।

25. सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

26. निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन :—

(क) अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 ;
(ख) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 ; और
(ग) बालक अधिनियम, 1960 ;"

(ख) "उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख—भारी उद्योग विभाग" उप-शीर्षक के अधीन,

(i) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"4. आटो उद्योग, जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने वाला उपस्कर आता है ।

5. सभी प्रकार के डीजल इंजन ।";

(ii) विद्यमान प्रविष्टि 5 को प्रविष्टि 6 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

(ग) "योजना मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"राष्ट्रीय योजना के विषय की बाबत संसद् के प्रति उत्तरदायित्व ।

सांख्यिकी विभाग

1. आंकड़ा संग्रह के मानक और प्रमाप तथा पद्धतियां ।
2. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ।
3. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ।
4. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ।
5. संगणक (कंप्यूटर) केन्द्र, इलक्ट्रानिक प्रक्रिया उपस्कर (कंप्यूटर) से सम्बन्धित अपेक्षाओं का समन्वय ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नीति-विषयक वक्तव्य और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करना और बराबर यह देखते रहना कि उनका कार्यान्वयन किया जाता है ।
2. राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ।
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का विकास ।
4. समुद्र विज्ञान, जिसके अन्तर्गत समुद्रतल और महासागर धरातल के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक पहलू आते हैं ।
5. वातावरण एवं परिस्थिति विज्ञान ।
6. भविष्य-विज्ञान ।
7. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सम्बन्धी सभी मामले ।
8. भारतीय सर्वेक्षण और राष्ट्रीय एटलस संगठन ।
9. भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण ।
10. भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण ।
11. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ।
12. भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगम का वार्षिक सत्र ।
13. केन्द्रीय भू-भौतिकी बोर्ड ।
14. सर्व भारतीय समुद्र विज्ञान संगम ।
15. भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक दस्तावेजी केन्द्र ।
16. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐसे क्षेत्रों का समन्वय जिनमें अनेक संस्थाओं और विभागों की रुचि हो और जिनमें उनकी क्षमता हो ।
17. जहां कहीं आवश्यक हो, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षणों, अनुसंधान, डिजाइन और विकास के कार्यों को हाथ में लेना या वित्तीय तौर पर उन्हें समर्थन देना ।

18. राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं, वैज्ञानिक संगमों और वैज्ञानिक निकायों को, जिनके अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी हैं, अनुदान।

19. देशी प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध सभी मामले, विशिष्टितया ऐसी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण को अन्तर्वलित करने वाले उद्यमों का विकास।

20. अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यकलाप, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(क) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहकारिता करारों के सम्बन्ध में बातचीत और उनका कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्रियाकलाप के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं की जिम्मेदारी; और

(ख) विदेशों में वैज्ञानिक सहचारियों (अताशियों) की नियुक्ति।

टिप्पण :—इन कृत्यों का पालन विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

21. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं पर सामान्य रूप से प्रभाव डालने वाले मामले, उदाहरणार्थ वित्तीय, कार्मिक, क्रय और आयात-नीतियां तथा व्यवहार।

22. विदेशों से लौटने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के अस्थायी स्थापन के लिए पूल बनाने से सम्बन्धित मामले।

23. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के निमित्त उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय।

(घ) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग" शीर्षक और तदधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति।

[सं०–74/2/1/75—सी० एफ०]

जगजीत सिंह मोंगिया, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975